

# सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़

E-mail: ccbaazamgarh@gmail.com

20.....

पंजीयन संख्या 1004/ 2006

बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश संबद्धीकरण संख्या 06/ 2008

नवीनीकरण सं० R.13/2023

(माडल बाइलाज फार एसोशिएशन ऑफ यू0पी0 बार काउंसिल के अनुसार आवेदन मय शपथ पत्र)

नोट:- निम्न सूचनाएं आवेदक द्वारा उ0प्र0 बार कौंसिल में पंजीयन के अनुसार दिये जायें।

1. नाम आवेदक (पंजीयन के अनुसार) .....

2. पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करें।

3. पिता/पति का नाम .....

4. वर्तमान पता .....

5. स्थायी पता .....

6. e-mail- ..... मो. नं. ....

COP No. .... आधार नं. ....

7. आवेदक की जन्म तिथि ..... लिंग .....

8. सदस्यता का रूप-.....

9. पंजीयन संख्या .....

10. अधिवक्ता पंजीयन की तिथि.....

11. प्रस्तावक अधिवक्ता का नाम (संघ के वर्तमान सदस्यों पर लागू नहीं).....

.....

12. प्रस्तावक अधिवक्ता का पंजीकरण नंबर (संघ के वर्तमान सदस्यों पर लागू नहीं).. ..

13. प्रस्तावक अधिवक्ता का COP नंबर (संघ के वर्तमान सदस्यों पर लागू नहीं).. ..

14. समर्थक अधिवक्ता का नाम (संघ के वर्तमान सदस्यों पर लागू नहीं).....

15. समर्थक अधिवक्ता का पंजीकरण नंबर (संघ के वर्तमान सदस्यों पर लागू नहीं).....

16. समर्थक अधिवक्ता का COP नंबर (संघ के वर्तमान सदस्यों पर लागू नहीं) .....

17. उस एसोशिएशन का नाम जिसका आवेदक सामान्य/अनिवासीय/नोनरेसिडेंट/आकस्मिक सदस्य है :

.....

18. क्या आवेदक दीवानी न्यायालय आजमगढ़ में सक्रिय व नियमित रूप से विधि व्यवसाय करता है, हाँ अथवा नहीं ?

यदि हाँ तो कब से?.....

19. क्या आवेदक किसी अनैतिक अपराध हेतु दण्डित है या भारतीय दण्ड संहिता या दण्ड प्रक्रिया संहिता अथवा 1 जुलाई 2024

को भारत सरकार द्वारा लागू किये गये नये कानून के प्रावधानों में लम्बित किसी वाद में सम्मिलित है ?

.....

20. क्या आवेदक के विरुद्ध उ.प्र. बार कौंसिल के समक्ष व्यावसायिक दुराचरण के अन्तर्गत कोई कार्यवाही लम्बित है या उक्त

प्रावधान के तहत दण्डित हुआ है ?.....

नोट:- नये सदस्यों को प्रस्तावक व समर्थक का सपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है

(2)

23. क्या आवेदक बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के नियम 40 के अन्तर्गत अधिवक्ता कल्याण निधि का आवश्यक शुल्क जमा कर दिया है तथा उसका सदस्य है ? .....
24. क्या आवेदक द्वारा माडल बाइलाज फार यू0पी. को पूर्णतया पढ़ लिया गया है तथा नियमावली के प्रावधानों को मानने का वचन देता है एवं नियमावली के उल्लंघन पर एडवोकेट्स ऐक्ट की धारा 35 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है ?.....
25. क्या सिविल कोर्ट बार एसोशिएशन आजमगढ़ द्वारा बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध है तथा माडल बाइलाज के अनुसार पंजीयन करा लिया है एवं आवेदक उससे आबद्ध है? .....
26. क्या सिविल कोर्ट बार एसोशिएशन की सदस्यता के अतिरिक्त अन्य किसी एसोशिएशन में साधारण सदस्यता प्राप्त की है या आवेदन किया है तथा मताधिकार का प्रयोग किया है ? .....

(नोट:-कॉलम संख्या 11 से 16 तक संघ की नई सदस्यता हेतु भरना अनिवार्य है, संघ के वर्तमान सदस्यों पर यह लागू नहीं होगा)

### आकस्मिक सहायता कोष की सदस्यता विवरण

(यह विवरण संघ के वर्तमान आकस्मिक सहायता कोष के सदस्यों के लिए ही मान्य है,  
नये आकस्मिक सदस्य बनने के लिए यह सूचनाएं मान्य नहीं होगी)

1. क्या आप सहायक अधिवक्ता है? यदि हों तो वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम.....
2. बैठने का स्थान .....
3. वैवाहिक स्थिति .....
4. पति/पत्नी का नाम.....
5. क्या आप किसी अन्य अभिभाषक संघ के सदस्य हैं? यदि हों तो उस संघ का नाम .....
6. क्या आप किसी सेवा निवृत्ति होने के उपरान्त अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय में आये हैं यदि हों तो विवरण .....

### घोषणा

यह कि प्रार्थी ..... व्यक्तिगत प्रतिज्ञा तथा घोषणा करता है तथा नोटरी शपथ पत्र द्वारा वचन देता है कि आवेदन पूर्ण रूप से पढ़ने तथा समझने के बाद किया गया है। आवेदन पत्र में वर्णित सूचनाओं/प्रविष्टियों उ0प्र0 बार कौंसिल द्वारा निर्मित नियमावली अथवा एसोशिएशन की नियमावली के एवं अधिवक्ता धर्म की मर्यादा के उल्लंघन का पता चलने की तिथि से ही प्रार्थी की सदस्यता समाप्त होगी तथा नियमावली के अन्तर्गत पश्चातवर्ती परिणाम भुगतने के लिए बाध्य होगा।